

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 111/2019

निर्णय दिनांक -10.06.2019

श्रीमति कलादेवी पत्नि किशनलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

//बनाम//

1. रतनलाल पिता नानालाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. चन्द्रपाल पिता चन्द्रभान सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी अनोपपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा एकलिंगपुरा पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 16 की आराजी नं0 7 रकबा 0.9100 हैक्टेयर आराजी नं0 8 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजाएकलिंगपुरा पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थीया की खाता संख्या 16 की आराजी नं0 7 रकबा 0.9100 हैक्टेयर आराजी नं0 8 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

